सं0–2722 / 69.1.2000–45 (सा) / 2000

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँक–25 जुलाई, 2000

विषय : जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक विकास केन्द्रों में सी.डी.एस. के माध्यम से सामुहिक कार्यक्रमों के लिए ''कैटरिंग संसाधन'' उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, सूडा के पत्र संख्या–1156 / 117 / तीन / 2000 दिनांक 24 जुलाई 2000 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.7.2000 के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों या उसके समीप निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ मलिन बस्तियों या उसके समीप निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ मलिन बस्तियों में निवास कर रहे सुपात्र व्यक्तियों के परिवार में आयोजित होने वाले वैवाहिक प्रयोजनों के लिए भी नियमानुसार किया जा सकेगा और सुपात्र व्यक्तियों को इस निमित्त सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सामुदायिक केन्द्रों पर कैटरिंग संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। कैटरिंग संसाधनों का क्रय एवं उनका उपयोग निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

1. कैटरिंग सामग्री एवं निर्मित सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं मलिन बस्तियों में निवास कर रहे परिवार ही करेंगे।

2. कैटरिंग सामग्री जो संबंधित सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध रहेगी, रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित सी.डी.एस. की होगी तथा सामग्री के खो जाने / नष्ट हो जाने की दशा में उसकी प्रतिपूर्ति, उपयोग कर रहे संबंधित व्यक्तियों से वसूल की जायेगी।

3. ''प्रथम आवत प्रथम पावत'' के सिद्धान्त पर सुपात्र व्यक्ति द्वारा सामग्री की मांग करने पर संबंधित सी.डी.एस. द्वारा सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी तथा सामान की वापसी के समय सामग्री की गिनती का पूर्ण होना एवं उनकी स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना भी संबंधित सी.डी.एस. का उत्तरदायित्व होगा।

4. केन्द्र पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री की मांग पर रूपया 51 / – तथा आधी सामग्री की मांग पर रूपया 21 / (24 घण्टे हेतु) संबंधित व्यक्ति द्वारा सामग्रियों के रख–रखाव हेतु संबंधित सी.डी.एस. को धनराशि अग्रिम के तौर पर दी जायेगी तथा लाभार्थी से प्राप्त धनराशि के लेखों के रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्यवाही तथा लाभार्थी से प्राप्त

धनराशि के लेखों का रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्यवाही जैसे–प्राप्ति रसीद एवं रजिस्टर का उत्तरदायित्व संबंधित सी.डी.एस. का होगा। प्रश्नगत मद से हुई आय के व्यय से संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जायेंगे।

5. सामुदायिक विकास समिति के सचिव होने के नाते संबंधित डूडा के परियोजना अधिकारी माह में एक बार केन्द्रों पर जाकर सामग्री का निरीक्षण करेंगे और अपनी निरीक्षण आख्या सामुदायिक केन्द्र पर उपलब्ध रजिस्टर पर अंकित करेंगे। किसी प्रकार की कमी पायी जाने पर वे इसके निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के संज्ञान में तथ्यों को लायेंगे।

6. क्रय की जाने वाली सामग्री जिसका विवरण संलग्न है (17 अदद) का प्रस्ताव नियमानुसार सी.डी.एस.से प्राप्त करते हुए डूडा की शासी निकाय के अनुमादनोपरान्त सामग्री का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अधीन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रश्नगत सामग्री पर होने वाला व्यय भार असिस्टेन्ट–टू–कम्यूनिटी स्ट्रक्चर अथवा एन.एस.डी.पी. के सामाजिक मद से वहन किया जायेगा।

7. सामुदायिक केन्द्रों पर उपलब्ध कैटरिंग सामग्री के रख–रखाव हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के मार्ग निर्देशन में उन्हीं 05 (पांच) सी.डी.एस. का चयन किया जायेगा जो योजनाओं के प्रति जागरूक हैं और जिनकी छवि स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय है।

8. उपर्युक्त शर्तों/प्रतिबन्धें को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में नगर निगम वाले जनपदों के ही जनपद में 05 (पांच) सामुदायिक केन्द्रों हेतु सामग्री क्रय की जायेगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : सामग्री की सूची।

शासनादेश संचया – 2722/69.1.2000–45 (सा)/2000 दिनांक 25 जुलाई 2000 का संलग्नक।

मलिन बस्तियों में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों में आयोजित होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों के लिए कैटरिंग सामग्री की सूची।

क्रमांक	कैटरिंग सामग्री	संख्या
(1)	गैस चूल्हे	दो अदद
(2)	ड्रम लोहे के (पानी के लिए)	दो अदद
(3)	कढ़ाई लोहे की (बड़ी)	दो अदद
(4)	कढ़ाई लोहे की (छोटी)	तीन अदद
(5)	कढ़ाई में प्रयोग होन वाला चम्मच/करछल	चार अदद
(6)	भगोने (ढ़क्कन सहित) (विभिन्न साईज के)	चार अदद
(7)	सार्विस डोंगा स्टील के (चम्मच सहित)	छः अदद
(8)	राइस ट्रे स्पून सहित	चार अदद
(9)	ग्लास (स्टील के)	150 अदद
(10)	छोटे चम्मच (स्टील के)	150 अदद
(11)	थाली (जिसमें कटोरियां बनी होंगी)	100 अदद
(12)	पेट्रोमैक्स (गैस)	चार अदद
(13)	बाल्टी (लोहे की)	चार अदद
(14)	पानी के जग (स्टील)	चार अदद

(15)	चौंगड (स्टी के चम्मच सहित)	चार अदद
(16)	दरी (12X12 वर्ग फिट खादी आश्रम से)	तीन अदद
(17)	फोन्डिंग बेड	पच्चीस अदद

भवदीय

(राम किशोर)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या – 2722/69.1.2000–45 (सा)/2000 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. नगर निगम वाले जनपदों के समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण।
2. संबंधित समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण।
3. गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय

(राम किशोर)
अनु सचिव